"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2009—भाद्र 26, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 6524/2252/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 708/II-15-2/2005/II-2-101/2001/I-8-6/2001/गोप./2009 बिलासपुर दिनांक 16-9-2009 के अनुपालन में श्री कंवर लाल चर्याणी (Kanwar Lal Charyani), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर में अतिरिक्त सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.